8.11.23

27.12.23

24.01.24

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 , 8 से 9 के वकील उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ0 7 नियम 11 सी. पी.सी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी सं. 1 व 8 (प्रार्थीगण) की बहस है कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के गोदपुत्र की हैसियत से मौजा निम्बली अवस्थित प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92/3 रकबा 18.1247 हैक्टयर में अपने दत्तकग्रहीता पिता व दत्तकग्रहीता माता के हिस्से में स्वय को सहखातेदार घोषित करवाने तथा बाद घोषणा भूमि का विभाजन करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है, जबकि हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार कोई दत्तकग्रहीता अपने दत्तकग्रहीता पिता व माता के जीवनकाल में सम्पति का विभाजन नहीं करवा सकता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को गोद लेने का प्रयोजन वारिस तैयार करना नहीं, बल्कि वंश चलाना और सेवा सुश्रूषा की सुविधा प्राप्त करना होता है। गोदपुत्र होने के बावजूद सम्पति का विभाजन करवाकर पृथक होने से दत्तकग्रहीता दम्पति का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। इस प्रकार वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:57:58 IST
Reason: SelfAttested

नैतिक एवं कानूनी नियमों से विधिविरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर मय खर्चा खारिज किया जावे।

इसके विपरित वकील वादी (विप्रार्थी) की बहस है कि कानूनन दत्तक पुत्र को अपने दत्तक माता–पिता की सम्पति में जाइन्दा पुत्र के समा नही घोषणात्म्क एवं विभाजनात्मक समस्त हक प्राप्त होते है ओर वह उनके जीवनकाल में ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार अपने हिस्से की भूमि पृथक करवा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं विधिविरूद्व होने से खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा प्रकरण के तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। किसी बिना पुत्र के दम्पति द्वारा किसी व्यक्ति को अपना वंश चलाने एवं वृद्वावस्था में अपनी सेवा सुश्रूषा करने के लिए गोद लिया जाता है, न कि वारिस तय करने के लिए। जैसा के गोदनामा की तहरीर से स्पष्ट है। जब दत्तक पुत्र दत्तक माता–पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हो जाता है, तो ऐसा करने से उनका गोद लेने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता हैक। इस प्रकार व्यावहारिक एवं नैतिक दृष्टि से भी वादी का यह वाद चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रतिवादी सं. 1 व 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:57:58 IST
Reason: SelfAttested